

न्यायालय : राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक-

/2003 निगरानी

R 453-III/203  
न्यायालय का ३१ अगस्त २००३ को प्रत्युत्तर  
द्वारा आदित । ३१/०३ को प्रत्युत्तर  
अवधि संख्या ५६७० अधिकार  
२ १७ जून २००३

- 1- विक्रम सिंह पुत्र सूरत सिंह
  - 2- सावित्री पुत्री सूरत सिंह
  - 3- लालूली बेवा सूरत सिंह
  - 4- जसोदा बेवा छलक सिंह
  - 5- प्रकाश पुत्रगण दयाराम
  - 6- तोरेन
  - 7- कटम सिंह
  - 8- अवध रानी बेवा दयाराम
  - 9- वत्ती पुत्री दयाराम
  - 10- लल्ली पुत्री दयाराम
  - 11- भवरसिंह पुत्रगण गणासी
  - 12- किंजितसिंह
  - 13- कल्पू
- समहत निवासीगण ग्राम मुंगावली तहसील करैरा  
जिला शिवायुरी --- प्राथीगण

बनाम्

देवलाल पुत्र नन्दलाल निवासी ग्राम मुंगावली  
तहसील करैरा जिला शिवायुरी

— प्रतिपादी

~~११-३-०३~~

निगरानी विक्रू आदेश अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग, आदेश  
दिनांक 20.9.2002 पारित प्रकरण क्रमांक-293/2001-02  
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 रेओडो।

श्रीमान्

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :-

यह कि, विवादित भूमि किंता 15 रेखा 5.63 हिंडा ग्राम  
मुंगावली तहसील करैरा के प्राथीगण एवं प्राति० के पूर्वज रिकार्डें  
.....2

४३।

RUS3/II/103 (ii) १५२

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२७. ६. १६	<p>आवेदन ऑफिस कोटा      ऑफ अनुपरिवहन। अनावेदन इन ह      १२५७८ के द्वारा आवेदन को तीन बार      प्रकार संग्रहीत जाई। आवेदन नामः      कॉम्पनी इन्डिया ने प्रकरण १३०५ पर      नभी कर देती है। प्रकरण १३०५ पर      ही अनुपरिवहन के स्थान में प्रकरण      ३१२८ के द्वारा समाप्त कराया गया।</p> <p style="text-align: center;">—४—</p> <p style="text-align: right;">१२५७८</p>	